केन्द्र तथा राज्य सरकारों के शैक्षिक अभिकरण

[Educational Agencies of Central and State Government]

(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E.)

परिचय (Its Introduction)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा मई, 1973 में हुई। भारत में 'अध्यापक शिक्षा' की गुणवत्ता में सुधार के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसकी स्थापना की थी और इसके अकादमिक सचिवालय के रूप में एन०सी०ई०आर०टी० का शिक्षक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग कार्यरत है। इसका मुख्य कार्य व उद्देश्य देश की अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित रहा है। राज्यों में अध्यापक शिक्षा की बेहतरी के लिए सार्थक कदम उठाने के लिये यह परिषद् कार्य करती है। परिषद् ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से देखते हुए 'प्राथमिक अध्यापक शिक्षा' पर विशेष ध्यान दिया। यह परिषद् भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को 'अध्यापक शिक्षा' सम्बन्धी सभी विषयों पर सलाह देती है। अध्यापक शिक्षा में मानक कायम रखने का कार्य भी यह परिषद् करती है। इसके साथ ही अध्यापक शिक्षा में पर्याप्त मानक आश्वश्त करने सम्बन्धी प्लान, योजनाओं की प्रगति की भी यह समीक्षा करती है। इस परिषद् में निम्नलिखित चार प्रमुख अकादमिक समितियाँ हैं—

(1) संचालन समिति,

(2) स्कूल पूर्व और प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा समिति,

(3) माध्यमिक और कॉलेज अध्यापक शिक्षा समिति,

(4) शारीरिक रूप से विकलांगों और मानसिक रूप से अवरुद्धों के लिए विशेष स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु समिति।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E.) की संकल्पना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (N.C.E.R.T.) के अध्यापक शिक्षा विभाग में की गई थी जिसके द्वारा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के सुधार लाए गये थे। इस प्रकोष्ठ ने एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी जिस पर देश के अनेक विश्वविद्यालयों व प्रशिक्षण महाविद्यालयों में विस्तार से चर्चा हुई थी। उस समय से लगातार अध्यापक शिक्षक यह प्रयास कर रहे थे कि अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्, इंडियन कॉन्सिल ऑफ टैक्नीकल एजूकेशन, बार कॉन्सिल ऑफ इंडिया तथा अखिल भारतीय मेडिकल कॉन्सिल के समान अधिकार सम्पन्न हो।

माध्यमिक स्तर तक के सभी प्रकार के शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर **'राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्'** (National Council of Teacher Education– N.C.T.E.) द्वारा नियन्त्रित होते हैं। यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का प्रमुख अंग है। 'राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्' की

Scanned by TapScanner

स्थापना पूरे देश के अध्यापक शिक्षा पद्धति के नियोजित एवं समन्विय विकास को प्राप्त करने तथा अध्यापक शिक्षा में सिद्धान्तों और मानदण्डों (Norms) के नियमन एवं उनके समुचित रख-रखाव के उद्देश्य से की गई है। 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्' की बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर में चार क्षेत्रीय समितियाँ हैं। सौभाग्य से शिक्षक प्रशिक्षकों का प्रयास सार्थक हुआ। सन् 1993 में अपने 73वें अधिनियम के रूप में भारतीय संसद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E.) ऐक्ट (दी नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजूकेशन) ऐक्ट पारित किया, जिसकी कुछ विशेषताओं को नीचे दिया जा रहा है—

अधिनियम की विशेषताएँ (Characteristics of N.C.T.E. Act)

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(1) अध्यापक शिक्षा का तात्पर्य पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण या शोध से है। इसके अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा, अशंकालिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और पत्राचार शिक्षा भी सम्मिलित हैं।

(2) अध्यापक शिक्षा योग्यता का तात्पर्य अध्यापक शिक्षा में डिप्लोमा, डिग्री या प्रमाण-पत्र से है जिसे किसी विश्वविद्यालय या प्रशिक्षण संस्था ने प्रदान किया हो जो इस ऐक्ट के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

(3) अध्यापक शिक्षा के नियोजित विकास के लिए तथा स्तर बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को कार्य करना है।

(4) राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम एवं योजनाओं के विषय में समय-समय पर संस्तुतियाँ प्रस्तुत करना इस परिषद् का दायित्व है।

(5) अध्यापक शिक्षा की संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना इसका एक प्रमुख कार्य है।

(6) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान को नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करना भी इसका दायित्व है।

(7) कोई भी क्षुब्ध व्यक्ति इस एक्ट की 14वीं या 17वीं धारा के अन्तर्गत निश्चित अवधि के अन्तर्गत परिषद् से ही अपील कर सकता है, किन्तु अवधि के बाद वह अपील मान्य नहीं होगी।

(8) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का एक केन्द्रीय कार्यालय होता है और कुछ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। केन्द्रीय कार्यालय इस समय दिल्ली में है और उत्तर भारत का क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में है।

परिषद् के प्रमुख कार्य (Main Functions of N.C.T.E.)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E.) के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

(1) अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना।

(2) नये संस्थान खोलने के लिए दिशानिर्देश प्रस्तुत करना।

(3) अध्यापक शिक्षा की प्रगति में समन्वय स्थापित करना।

(4) विशिष्ट पाठ्यक्रमों के संचालन को प्रोत्साहित, अनुमोदित एवं विकसित करना।

(5) शिक्षण के मानदण्ड निर्धारित करना।

(6) परीक्षा के मानदण्ड एवं इसकी प्रणालियों को नियोजित करना।

(7) शुल्क के विषय में दिशानिर्देश देना।

(8) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और शोध को प्रोत्साहित करना।

(9) मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर संस्थाओं का निरीक्षण करना।

(10) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन प्रणाली विकसित करना।

Scanned by TapScanner

(11) अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए कारगर कदम उठाना।

(12) केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य किसी कार्य को सम्पादित करना।

अध्यापक शिक्षा के समन्वित विकास स्तरोन्नयन व नियमन के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 एक जुलाई, 1995 में समस्त भारत में प्रभावी हो गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने इस हेतु विनिमय भी बनाए हैं जो अधिनियम के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित हुए हैं। उनका पालन सभी के लिए अनिवार्य है।

बी०एड० व समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी नियम जारी किए हैं। राज्य सरकारें स्वयं अथवा विश्वविद्यालयों के माध्यमों में प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित कराती हैं। नियमों में यह भी प्रावधान है कि प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले अभिकरण इस परिषद् द्वारा अनुमोदित होने चाहिएं।

Scanned by TapScanner